

--:: कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, राजनांदगांव रेंज, राजनांदगांव (छ0ग0) ::--

Email:- ig-rjn@cg.gov.in Phone no: 07744 226562

--:: आदेश ::--

थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम के अपराध क्रमांक-65/2024 धारा 103(1), 103(2), 238(a), 191(2), 191(3), 189(5), 332(a), 324(6), 287, 310(3), 326(g), 61(2)(a) भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बरती गई लापरवाही अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का होने से इन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर रक्षित केन्द्र कबीरधाम में संबद्ध किया जाता है :-

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारियों का नाम/पदनाम
01	सउनि0 कुमार मंगलम, थाना सिंघनपुर
02	म0आर0 331 अंकिता गुप्ता, चौकी चारभांटा थाना कोतवाली

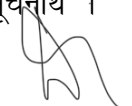
निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।


(दीपक कुमार झा)
पुलिस महानिरीक्षक,
राजनांदगांव रेंज, राजनांदगांव
दिनांक 20/09/2024

क्रमांक - पुमनि/राज0 रेंज/पीए/एम-10262/2024

प्रतिलिपि-

- 01- पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, पुलिस मुख्यालय, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 02- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 03- पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम को आवश्यक कार्यवाही एवं उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा बरती गई लापरवाही के संबंध में नियमानुसार प्राथमिक जांच कराया जाकर जांच प्रतिवेदन मय सुसंगत दस्तावेजों के तत्काल इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।
- 04- सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के माध्यम से सूचनार्थ।


पुलिस महानिरीक्षक,
राजनांदगांव रेंज, राजनांदगांव